of Rs. 20,000/- may be deducted from the total income of the assessee if he is :—

(a) totally/partially blind ; or

(b) subject to or suffers from a permanent physical disability of any one of he following :—

(i) permanent physically disability of more than 50 per cent in one limb ; or

(ii) permanent physical disability of more than 60 per cent in two or more limbs ; or

(iii) permanent deafness with hearing impairment of 71 decibels and above ; or

(iv) permanent and total loss of voice.

मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं

9327. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिले-वार तथा तहसीलवार आदिवासी क्षेत्रों में सरकार द्वारा इस समय कितनी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को वार्षिक रूप से जिले-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और क्या यह धनराशि सही मात्रा में तथा सही मायने में आदिवासियों को मिलती है ;

(ग) क्या यह सच है कि आदिवासियों को सरकारी सहायता को प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता और उन्हें सरकारी प्रक्रिया द्वारा काफी परेशान किया जाता है ;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में कोई ठोस कदम उठा रही है जिससे कि वे आसानी से सहायता प्राप्त कर सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :

विवरण

(क) 1992-93 के दौरान जिलों के विभिन्न तहसीलों में अनुसूचित जन जातियों के विकास तथा कल्याण हेतु मध्य प्रदेश राज्य सरकार/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इस मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित छः केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की गई जो इस प्रकार हैं:—

(1) आदिवासी उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता

(2) अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान

(3) लड़कों के लिए होस्टलों का निर्माण

(4) लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण

(5) लघु वनोत्पाद संबंधी कार्यों के लिए राजकीय आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान

(6) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता। चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता के विकास के लिए आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षणिक परिसर संबंधी योजनाएं शुरू की गई हैं । यह मंत्रालय राज्य सरकार/गैर-सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान करता है ।

(ख) 1992-93 के दौरान तथा 1993-94 के दौरान अब तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त धनराशि को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । (नीचे देखिए) राज्य सरकार को निर्मुक्त की गई धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा विकास हेतु विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में किया जाता है ।

(ग) से (ङ) ऐसी कोई विशिष्ट सूचना इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई है ।

विवरण

1992-93 तथा 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनावार निर्मुक्त की गई धन राशि ।

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	योजना का नाम	1992-93 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	1993-94 के दौरान निर्मुक्त धनराशि 31-12-93 तक
1.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान	7.89	2.08
2.	विशेष केन्द्रीय सहायता	6785.01	7117.65
3.	अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान	880.80	1651.50
4.	लड़कों के होस्टल	63.74	27.03
5.	लड़कियों के होस्टल	83.06	27.03
6.	आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास के लिए निम्न साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षणिक परिसर	..	25.32
7.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	--	44.34
8.	लघु वन उत्पाद कार्यों के लिए राजकीय आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायतानुदान	51.00	--
	कुल :	7871.50	8894.95

COMMERCIAL EXULOITATION OF LAND BELONGING TO GOVERNMENT DEPARTMENTS

*328. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision on the proposal to consider commercial exploitation of land belonging to Government Departments;

(b) if so, what are the departments which have been allowed to use land for commercial purposes;

(c) what is the total land that would be used for commercial purposes; and

(d) whether Government have instructed the Departments to ensure that future expansion plans of these sectors are not jeopardised ?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SMT. SHEILA KAUL) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

WATER SUPPLY FROM HARYANA TO DELHI

*329. SHRI MOHINDER SINGH LATHER : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) What is the quantity of water supplied to Delhi during the last three years till date from Haryana, year-wise;

(b) whether any agreement has been with Haryana Government to provide water to Delhi; and

(c) if so, what are the details thereof stating its overall impact on agricultural irrigation sectors in Haryana ?